

an>

Title: Need to regularize the services of 'Siksha Mitras' in Uttar Pradesh.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही गंभीर विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस समय मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षक, जिन्हें पूर्व में शिक्षा मित्र कहा जाता था, आक्रोशित एवं आंदोलित हैं। जगह-जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ये वर्षों से कार्य कर रहे थे। कुछ लोगों को तो लगभग 20 वर्ष से ज्यादा कार्य करते हो गए हैं। ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार से बात कर राहत दिलाने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ समय पहले हुआ और इन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध कर दिया गया। इसके कारण ही गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ राज्य सरकार से बात करके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे और तब तक इन शिक्षकों को पूर्व की भांति वेतन और सुविधाएं दी जाएं ताकि इनको राहत मिल सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री अशोक कुमार दोहरे को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।